2026:CGHC:16603

2026:CGHC:16603

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक–434/2026

- सफीक अहमद पिता–रफीक अहमद, उम्र–लगभग 49 वर्ष, निवासी–कंचनपुर, वार्ड संख्या–14, सक्ती, पुलिस थाना–सक्ती, जिला–सक्ती, छत्तीसगढ़

–––––अपीलार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना–सक्ती, जिला–सक्ती, छत्तीसगढ़ (राज्य)
2. धर्मेन्द्र सिंह पिता–सुरेन्द्र बहादुर सिंह, उम्र–लगभग 32 वर्ष, निवासी–हरिगुजर महल, सक्ती, जिला–सक्ती, छत्तीसगढ़ (प्रार्थी)

–––––उत्तरवादीगण

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा	:	डॉक्टर अरहम सिद्दीकी, अधिवक्ता ।
राज्य/उत्तरवादी क्रमांक–1 द्वारा	:	श्री राजकुमार साहू, पैनल अधिवक्ता ।
प्रार्थी/उत्तरवादी क्रमांक–2 द्वारा	:	श्री हेमन्त गुप्ता, अधिवक्ता ।

न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

!! आदेश पीठ पर पारित !!

10/04/2026

1. अपील की ग्राह्यता पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए ।

2. धारा 14(क)(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे आगे संक्षेप में "विशेष अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत प्रस्तुत इस अपील में विचारण न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (विशेष अधिनियम), जांजगीर चाम्पा, छत्तीसगढ़ द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक–37/2025 "छत्तीसगढ़ राज्य **विरूद्ध** सफीक अहमद" में दिनांक–05/12/2025 को अपीलार्थी पर विरचित आरोप पत्र अंतर्गत धारा–296, 351(3), 115(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा विशेष अधिनियम की धारा–3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(vक) को चुनौती दी गई है । उक्त आदेश को आगे संक्षेप में "प्रश्नाधीन आदेश" से संबोधित किया जा रहा है ।

3. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण का प्रार्थी धर्मेन्द्र सिंह, जो राजा सुरेन्द्र बहादुर सिंह का दत्तक पुत्र है, के नाम पर अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाणपत्र सुरेन्द्र बहादुर सिंह की जाति के आधार पर जारी किया गया है और उसी आधार पर पुलिस द्वारा धर्मेन्द्र सिंह की सूचना पर दिनांक 24/04/2025 की घटना के संबंध में अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 131/2025, दिनांक 24/04/2025 को पंजीबद्ध किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी धर्मेन्द्र सिंह स्वयं उक्त जाति का सदस्य नहीं है, बल्कि दत्तक पुत्र होने के कारण सुरेन्द्र बहादुर सिंह की जाति के आधार पर उसके पक्ष में जाति प्रमाणपत्र जारी किया गया है तथा उभयपक्ष के मध्य पूर्व से भूमि संबंधी विवाद भी चल रहा है । अतः वर्तमान प्रकरण में विशेष अधिनियम के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं । इस प्रकार, विशेष अधिनियम के अंतर्गत विरचित आरोप विधिसम्मत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं । अतः अपील स्वीकार कर अपीलार्थी/अभियुक्त को विशेष अधिनियम के आरोपों से उन्मुक्त किया जाए । विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया है–

I. Masumsha Hasanasha Musalman v. State of Maharashtra, reported in AIR 2000 SC 1786,

II. Dinesh alias Buddha v. State of Rajasthan, reported in AIR 2006 SC 1267,

III. Amir v. State of Madhya Pradesh, 2004 Cri.L.J. 3686, **&**

IV. Mekala Raji Reddy v. State of Andhra Pradesh, 2002 Cr.L.J. 3407.

4. उत्तरवादी/राज्य तथा प्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि आरोप के स्तर पर प्रथम सूचना पत्र एवं अभियोगपत्र के आधार पर ही यह देखा जाना होता है कि प्रथमदृष्टया अपराध बनता है या नहीं । प्रथम सूचना पत्र से यह परिलक्षित होता है कि विशेष अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जिस जाति प्रमाणपत्र की जप्ती की गई है, उसमें प्रार्थी धर्मेन्द्र सिंह के मूल पिता के रूप में धनेश्वर सिंह का उल्लेख है तथा धनेश्वर सिंह स्वयं उसी जाति विशेष का सदस्य है । अतः अभिलेख में उपलब्ध सामग्री से प्रथमदृष्टया अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध विशेष अधिनियम के अंतर्गत अपराध निर्मित होता है । अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित "प्रश्नाधीन आदेश" उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः प्रस्तुत अपील खारिज किया जाए ।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **State of Rajasthan v. Fatehkaran Mehdu, AIR 2017 SC 796** में यह विधि स्थापित की गई है कि आरोप निर्धारण के चरण पर न्यायालय आरोपों के सत्यापन अथवा अंतिम प्रमाणिकता का परीक्षण नहीं करता, अपितु अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह विचार करता है कि क्या अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने का प्रबल संदेह उत्पन्न होता है । यदि उपलब्ध सामग्री से ऐसा सशक्त संदेह परिलक्षित होता है, जो विचारणोपरांत दोषसिद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकता है, तो

आरोप निर्धारण विधिसम्मत होगा । आरोप निर्धारण की अवस्था दोषसिद्धि के अंतिम परीक्षण की अवस्था नहीं है ।

6. इसी प्रकार, **State of M.P. v. Deepak, (2019) 13 SCC 62** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 397 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हस्तक्षेप की परिधि स्पष्ट करते हुए प्रतिपादित किया है कि आरोप निर्धारण के स्तर पर न्यायालय को केवल यह परीक्षण करना होता है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध अपराध किए जाने का अनुमान करने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है । इस चरण पर न्यायालय साक्ष्यों का गुण–दोष के आधार पर मूल्यांकन नहीं करता और न ही यह निष्कर्ष निकालता है कि अभिलेखित साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त होंगे या नहीं । जिसकी कण्डिका–16 निम्नानुसार हैः–

> **"16.** It was also noted that at the stage of framing of charges, the Court has to consider the material only with a view to find out if there is a ground for "presuming" that the accused had committed the offence : (Chitresh Kumar Chopra case [Chitresh Kumar Chopra v. State (NCT of Delhi), (2009) 16 SCC 605 : (2010) 3 SCC (Cri) 367] , SCC p. 613, para 25)
>
> > " 25. It is trite that at the stage of framing of charge, the court is required to evaluate the material and documents on record with a view to finding out if the facts emerging therefrom, taken at their face value, disclose the existence of all the ingredients constituting the alleged offence or offences. For this limited purpose, the court may sift the evidence as it cannot be expected even at the initial stage to accept as gospel truth all that the prosecution states. At this stage, the court has to consider the material only with a view to find out if there is ground for "presuming" that the accused has committed an offence and not for the purpose of arriving at the conclusion that it is not likely to lead to a conviction."

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **State (NCT of Delhi) v. Shiv Charan Bansal and Others, (2020) 2 SCC 290** में यह पुनः स्पष्ट किया गया है कि आरोप निर्धारण के चरण पर विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का सूक्ष्म एवं विस्तृत विश्लेषण या व्यापक परीक्षण किया जाना अपेक्षित नहीं है । तथापि, न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उपलब्ध सामग्री का सीमित परीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि अभियुक्त के विरुद्ध विचारण प्रारंभ करने हेतु प्रथमदृष्टया मामला स्थापित होता है या नहीं ।

8. उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में, चूँकि प्रथम सूचना पत्र, विशेष अधिनियम के तहत पंजीबद्ध हुआ है तथा संपूर्ण अभियोगपत्र के परिशीलन से यह भी परिलक्षित होता है कि विशेष अधिनियम के अंतर्गत विरचित आरोप प्रथमदृष्टया पाए जाते हैं । जहाँ तक अपीलार्थी पक्ष के तर्क का प्रश्न है, वह बचाव का विषय है तथा जाति प्रमाणपत्र को भी विचारण के दौरान चुनौती दी जा सकती है ।

9. इस प्रकार, उपरोक्त न्यायदृष्टांतों तथा अभिलेख में उपलब्ध समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित "प्रश्नाधीन आदेश" में कोई अवैधता अथवा अशुद्धता परिलक्षित नहीं होती है । अतः उसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं पाई जाती । अतः यह याचिका प्रारंभिक स्तर पर **खारिज** की जाती है ।

10. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति यथाशीघ्र विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए ।

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन